(

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 5709986 / पटना, दिनांक :- 04/06/2026

ग्रा0वि0-R-504/07/2026-Section-14-RDD-RDD (COM No-561087)

सुश्री नेहा कुमारी (अनुक्रमांक-108380), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा (मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4429 दिनांक-06.03.2026 के माध्यम से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-251 दिनांक-17.02.2026 में प्रतिवेदित किया गया कि सुश्री नेहा कुमारी के विरूद्ध परिवादी श्री अवधेश कुमार, पिता-जयदेव भगत, ग्राम- अजितपुर बकुची, थाना-कटरा, जिला-मुजफ्फरपुर के पत्नी के नाम से "छाया लाईट एंड साउंड सर्विस एंड टैंट हाउस" द्वारा बिहार विधान सभा निर्वाचन चुनाव 2025 के अवसर पर CAPF के ठहराव स्थल पर टैंट एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कार्य का कुल राशि 7,40,061/- रूपया भुगतान करने के एवज में 1,40,000/- रूपया रिश्वत मांगने के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-08/2026, दिनांक-12.01.2026, धारा-7(a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-639 दिनांक-07.02.2026 द्वारा सुश्री नेहा कुमारी के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा सुश्री कुमारी के विरूद्ध बिना पूर्व सूचना एवं विधिवत अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2. सुश्री नेहा कुमारी के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्रतिवेदित आरोप एवं तत्संबंध में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि सुश्री नेहा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं ।

3. अतः सुश्री नेहा कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सुश्री नेहा कुमारी का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त, कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया जाता है ।

4. निलम्बन की अवधि में सुश्री नेहा कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\Section-014\Year-2025-26\Office Order-2025-26\Notification(2026)-13 (Nelambit).doc

स्पीड पोस्ट/
ई मेल

ज्ञापांक:- 5709986 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/06/26

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सुश्री नेहा कुमारी (अनुक्रमांक-108380), ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटरा (मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 5709986 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/06/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।